



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

सं०-668-विधि(वाद)-22/पाकालि/21-24-वीपी/00(टी०सी०)

दिनांक: 21 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन द्वारा निर्गत विज्ञापन सं० 01/Advocate/UPPCL/2020, दिनांक 12.12.2020 के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों के विरुद्ध दायरवादों की पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को आवंटित क्षेत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से **पैनल अधिवक्ता** नामित किया जाता है:-

क्रम सं०	अधिवक्ता का नाम	बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों हेतु	आवंटित क्षेत्र
1	श्री देवेन्द्र कुमार राय	यू०पी० 11236/1999	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	सिस गोमती लेसा
2	श्री संतोष कुमार मिश्रा	यू०पी० 15579/2000	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	ट्रांस गोमती लेसा
3	श्री मनीष वैश्य	यू०पी० 3248/2006	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	लखनऊ क्षेत्र
4	श्री अभिनव सिंह	यू०पी० 8622/2012	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	देवीपाटन क्षेत्र
5	श्री मो० रजा खान	सू०पी० 653/1993	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	लखनऊ क्षेत्र
6	श्री मयंक सिन्हा	यू०पी० 10655/2010	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	अयोध्या क्षेत्र
7	श्री सतेन्द्र कुमार	यू०पी० 761/1998	वाणिज्यिक एवं गैर-वाणिज्यिक	उ०प्र० पा० का० लि०

- कोई विशिष्ट मुकदमा किसी विशिष्ट अधिवक्ता को आवंटित किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०/डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
- कारपोरेशन तथा विभिन्न डिस्कॉम को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी पैनल अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता को बिना नोटिस या बिना कारण बताये हटा दें।
- कारपोरेशन की ओर से नामित अधिवक्ता कारपोरेशन के विरुद्ध किसी वाद/अपील/याचिका इत्यादि में पैरवी नहीं करेंगे।
- पैनल अधिवक्ता को पावर कारपोरेशन/डिस्कॉम से सम्बन्धित वाद/अपील/याचिका/अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक बिन्दुओं पर अभिमत हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क अनुमन्य नहीं होगा।
- नामित अधिवक्ताओं को कारपोरेशन में लागू शर्तों के अनुसार फीस देय होगी तथा किसी प्रकार का रिटेनरशिप अनुमन्य नहीं होगा।
- कारपोरेशन व अन्य समस्त विद्युत वितरण कंपनियों के पैनल पर पूर्व से नामित समस्त अधिवक्ताओं का पैनल तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाये।
- अधिवक्ताओं को आवंटित क्षेत्रों का परिवर्तन/निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के अध्यक्ष के पास सुरक्षित है।

Bhupendra Rai

अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं कैस्को, कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं कैस्को, कानपुर।
6. समस्त उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि हटाये गये अधिवक्ताओं से पत्रावलियां नवनि्युक्त अधिवक्ताओं को हस्तांतरित कराये।
7. सहायक विधि अधिकारी, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिवक्ता का नाम:-
9. कट फाइल।

आज्ञा से,
Bhupendra Rai
(भूपेन्द्र राय)
एच०जे०एस०
विधि अधिकारी